

# आयालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

सूचन 5/18 तारीख 22 जून 16 1.18

उजवान - आरामी बनाम अजदीश के गुजर  
~~मि~~ तिपारिया का बुद्धा  
 प्रार्थना पत्र आस्थायी निषेधाज्ञा।

प्रार्थी की ओर से श्री सुब्रह्मचन्द्र शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र आस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 CrP को तहत प्रेषित किया। जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी बन्दी के एक तरफा बहस सुनी गयी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी गण को अन्तर्निमित्त आस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त तिपारिया के ख. नं० 509 रकबा 0.06, 510 रकबा 0.06, 511 रकबा 0.06 हे० कुल मिला 3 कुल रकबा 0.18 हे० में आगामी पेशी तक निर्माण कार्य नही करे। प्रार्थना पत्र रोजर कर अप्रार्थी गण की ओर से नोटिस से तालब कर दिनांक 14.2.18 को पेश हो।

241-45  
 17-1-18

अजदीश आराम  
 उपजिला कलक्टर  
 टोडाभीम

14.2.18 प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी गण न। ता 5 की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा प्रेषित किया। नॉटिस जवाब दिनांक 26.2.18 को पेश हो।

2/18 वकालत उप। जखब पेश कले दि० 9.3.18 को पेश हो।

3/18 वकालत उप। जखब पेश कले दि० 6.4.18 को पेश हो।

4/18 वकालत उप। जखब पेश कले दि० 4.5.18 को पेश हो।

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
4.5.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर... मं दिनांक... 9.5.18... को पेश हो।
9.5.18	
जु 15/18 Nagantol 9/5/18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर... मं पेश हुई। आईन्दा दिनांक... 5.7.18... को पेश हो।
5-2-18	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी... है। गतानुसार दिनांक 26-7-18 को पेश हो।
26-2-18	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी पेश है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 23-2-18 को पेश हो।
23.8.18	वकुलाय उप०। अप्रार्थीगण का जबरन पेश किया। जबरन की गती प्रार्थी वकील ने प्राप्त की वास्ते बरस दि० 13.9.18 को पेश हो।
13.9.18	वकुलाय उप०। बरस एतु समय-पाहा। वास्ते बरस दि० 5-10-18 को पेश हो।
2-11-18	उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम करीली (राज०) वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी कार्यव्यवस्था है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 16-1-19 को पेश हो।
16-1-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी पेश है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 13-2-19 को पेश हो।
13.2.19	पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन सूत्रा गया है। गतानुसार दिनांक 13.2.19... को पेश हो।

# जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

13.3.19  
 बकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी सभका  
 पर पद्वार है। अतः पत्रावली गताबुसार  
 दिनांक 12.4.19 को पेश हो।

1-19 बकुलाय उप० | बकील उभय पक्षने बहस हेतु सभय  
 चाहा | दिया गया | वास्ते बहस दिनांक 7.6.19 को पेश  
 हो।

बकुलाय उप० | बहस हेतु पुनः सभय-काहा | सभय दिया गया।  
 वास्ते बहस दिनांक 4.7.19 को पेश हो।

18 बकुलाय उप० | बकील उभय पक्षने एक साथ कथन किया कि  
 विवादित आशजीपात पर उभयपक्ष को कादावा कैसला जारी  
 की गई अंतलि अस्थाई निवेदात्रा का कन्फर्म कर दिया जावे।  
 बकील उभयपक्ष की सहमति से ग्राम निपरिया की भूमि खसरा  
 नम्बर 509 रकबा 0.06 है, 510 रकबा 0.06 है, 511 रकबा 0.06  
 है कुलकित 3 कुल रकबा 0.18 है पर उभयपक्ष का कादावा  
 कैसला यथा स्थिते बन्धे रहें। किली उका का निमणि नही  
 करें। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकी  
 प्राण पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

उपजिला कलक्टर  
 टोडाभीम (करौली)